

Seventeenth Loksabha

an>

Title: The Constitution (Amendment) Bill, 2022 (Insertion of new articles 44A and 51A)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. निशिकांत दुबे: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।
